अध्याय IV : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

4.1 पेट्रोलियम एवं विस्फोट सुरक्षा संगठन, नागपुर

शिवकाशी में पटाखे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (प.अ.वि.के.) हेतु निर्मित बुनियादी ढांचे का कम उपयोग।

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पे.वि.सु.सं.) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग (औ.नी.प्रो.वि.) के अंतर्गत एवं अधीनस्थ कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता विस्फोटक मुख्य नियंत्रक (वि.मु.नि.) करता है। इसे विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके अधीन बनाए गए विभिन्न नियमों के क्रियान्वयन का कार्यभार सौंपा गया है।

पे.वि.सु.सं. ने प्रदूषण स्तर कम करने हेतु पर्यावरण हितैषी पटाखों के निर्माण और पटाखों से होने वाले खतरों संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिवकाशी में, जो पटाखा निर्माण गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है, पटाखे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (प.अ.वि.के.) की स्थापना हेतु एक परियोजना की संकल्पना की (2003)। परियोजना की समाप्ति के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई।

भारतीय पटाखा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाए गए प.अ.वि.के.के उद्देश्यों में पर्यावरण हितैषी पटाखों का निर्माण, जोखिमपूर्ण निर्माण प्रक्रियाओं का यंत्रीकरण, उत्पादों का विकास व मानकीकरण, कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, रासायनिक संयोजना की प्रकृति का अध्ययन तथा निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन, तकनीकी संसाधन विकास, कच्चे माल का परीक्षण, इत्यादि सम्मिलित थे।

सिविल तथा विद्युत कार्यों को 10वीं पंचवर्षीय योजना (2007) की समाप्ति तक ₹3.48 करोड़ की लागत पर समाप्त कर लिया गया। परियोजना का विस्तार 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रयोगशाला उपस्कर, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा उपकरणों के क्रय हेतु किया गया। परियोजनाओं पर किया गया व्यय 2011-12 तक ₹6.49 करोड़ था।

जबकि प.अ.वि.के., शिवकाशी की परियोजना गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही थी, पेसो को रासायनिक संयोजन के आधार पर पटाखों का मूल्यांकन कर पटाखे के प्रत्येक प्रकार व श्रेणी का रासायनिक सूत्र ज्ञात करने हेतु अनुसंधान गतिविधियां प्रारंभ करनी थी (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 15 जुलाई 2005)। पेसो को पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक रसायन का अनुपात/संयोजन और अनुमत भार निर्दिष्ट करना और पटाखों को दो श्रेणियों-ध्वनि उत्पन्न करने वाले और रंग/प्रकाश उत्पन्न करने वाले पटाखों में विभक्त करना था।

पटाखों के संयुक्त मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु गठित कोर समिति (2005) ने प.अ.वि.के. के उद्देश्यों को विस्तार से बताया और प.अ.वि.के. के लिए 53 तकनीकी तथा 40 लिपिक वर्गीय पदों की स्टाफ संख्या की सिफारिश की। तकनीकी/प्रशासकीय/सहायक स्टाफ के कुल 80 पद सृजित करने हेतु एक प्रस्ताव फरवरी 2006 में प.उ.नि. द्वारा औ.नी.प्रो.वि. को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और क्रियान्वयन गतिविधियां यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु 12 पदों का न्यूनतम आवश्यक कार्य बल निर्मित करने हेतु प.उ.नि. द्वारा एक शीघ्र क्रियान्वयन माड्यूल भी जून 2006 में प्रस्तावित किया गया।

प.अ.वि.के. का उद्घाटन जुलाई 2011 में हुआ। तथापि इस इकाई के लिए कार्यबल के सृजन के प्रस्तावों को अब तक अनुमति नहीं मिली है (दिसम्बर 2012) जिसके कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। संयुक्त सचिव, औ.नी.प्रो.वि. के निर्देश पर प.अ.वि.के. के बुनियादी कार्यों को प्रारंभ करने हेतु पेसो की वर्तमान श्रमशक्ति को गतिशील किया गया, अर्थात एक पटाखा नियंत्रक प.अ.वि.के. के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था, और स्टाफ स्तर पर एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ सहायक को डी.टी.एस., घोंडकायरी, नागपुर से और एक आशुलिपिक को कार्यालय पटाखा नियंत्रक, वैल्लोर से स्थानांतरित किया गया था। प.अ.वि.के. की सुरक्षा व रख-रखाव का कार्य के.लो.नि.वि. को प्रदान कर दिया गया है और दिन प्रतिदिन की न्यूनतम गतिविधियां अस्थायी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार कार्य करने के लिए समूचित रूप से सुसज्जित होने के बावजूद प.अ.वि.के. पेसो से लिए गए 3 तकनीकी स्टाफ के साथ कार्य कर रहा है जिनके पास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित अनुसंधान कार्य करने की कुशलता नहीं है।

2009 से 2012 के दौरान शिवकाशी में दुर्घटनाएं होना और संचार माध्यमों द्वारा इनका उजागर होना लगातार जारी रहा।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2013) कि प.अ.वि.के. परिसर का प्रयोग संगोष्ठियों के आयोजन, प्रशिक्षण, परीक्षण, परीक्षाओं व पूछ-ताछ के लिए किया जा रहा था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा प.अ.वि.के. परिसर का उपयोग करने हेतु किए गए उपाय उन प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते जिसके लिए ₹ 6.49 करोड़ का व्यय किया गया।